न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच, जनपद जालौन

मुकदमा सं०-534/2020

सरकार बनाम मनोज राठौर आदि।

मु.अ.सं०-128/2020
धारा-498-A, 323, 504, 506 भा०दं०सं०,
व 3/4 डी.पी.एक्ट
थाना-रेढ़र, जिला जालौन।

आरोप

मैं तुषार जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच, आप **अभियुक्तगण मनोज राठौर, श्रीमती माया, पप्पू उर्फ श्री नारायण व जितेन्द्र** को एतद्वावारा निम्न आरोपो से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 07.03.2020, समय 14:00 बजे, स्थान बहद ग्राम महतवानी, थाना रेंढ़र, जिला जालौन में आप लोगों ने वादिनी मुकदमा के ससुरालीजन पति, ससुर, सास व जेठ होते हुए उसकी शादी होने के उपरांत उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। इस प्रकार आपलोगों ने भा०दं०सं० की **धारा 498-A** के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उक्त दिनांक को उक्त समय व स्थान पर आप लोगों ने मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपलोगों ने भा०दं०सं० की **धारा-323** के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा को अपमानित करने के उद्देश्य से गालियां दी, जिससे कि वह उत्तेजित होकर लोकशांति भंग करने पर आमादा हो जाए। इस प्रकार आपने भा०दं०सं० की **धारा-504** के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी वादिनी मुकदमा को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कार्य किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा **506** के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5- यह कि उक्त दिनांक को उक्त समय व स्थान पर आपलोगों ने वादिनी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज की मांग की। इस प्रकार आपलोगों ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की **धारा-3/4** के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

एद्द्वारा में आपलोगों को निर्देश देता हूं कि उक्त आरोपों में आपलोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 21.07.2022

(तुषार जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोंच, जनपद जालौन।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार किया और परीक्षण चाहा।

दिनांक 21.07.2022

(तुषार जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोंच, जनपद जालौन।